09/5/19
वकुलाय उप०/PO साहब अन्य प्रशासनिक
कार्य मे व्यस्त है पत्रावली दिनाकं 27/6/19
को पेश हो।

27/6/19
[illegible] उप०/PO साहब अन्य प्रशासनिक
[illegible] है पत्रावली दिनाकं 10/7/19
को [illegible] [illegible]
[illegible]
पत्रावली [illegible] दिनांक 10/7/19
को पेश हो

10/7/19
वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य
स्थगत होने के कारण पत्रावली वास्ते बहस
दिनाकं 24/7/19 को पेश हो।

24/7/19
वकुलाय उप०/PO साहब अन्य प्रशासनिक
कार्य मे व्यस्त है पत्रावली दिनाकं 1/8/19
को पेश हो।

1/8/19
पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप०।
[illegible] पत्रावली
वास्ते आदेश दिनांक 14/8/19 को
पेश हो

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

14/8/19
पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप० [illegible]
[illegible]
[illegible] पत्रावली [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह परमार, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 2/22 तारीख रज्जू 14.03.2019

01– श्रीमती रेखा पुन्ढीर धर्म पत्नी श्री सुधीर पुन्ढीर जाति राजपूत आयु करीब 60 साल निवासी मकान नम्बर 1 ट 14 मनु मार्ग, हाउसिंग बोर्ड, अलवर **–प्रार्थीया**

बनाम

01– राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामचन्दर जाति अहीर आयु करीब साल, निवासी चरखी दादरी अचीना गॉव जिला महेन्द्रगढ हरियाणा हाल निवासी गुडगॉवा पालम विहार।

02– तहसीलदार भू०अ० बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील अलवर जिला अलवर **–अप्रार्थीगण**

03– श्रीमती रेणु सिंह धर्मपत्नी श्री बी०एस० शिशोदिया जाति राजपूत आयु करीब 40 साल निवासी सी०ई०डी०टी० कालोनी गोरखपुर

–तरतीबी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :– **दिनांकः 18.09.2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि प्रार्थीया एवं तरतीबी अप्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 545/3 रकबा .0.15 है० वाके ग्राम भाखेडा तहसील अलवर के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी प्रार्थनी एवं तरतीबी अप्रार्थी द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 29.01.2005 को स्नेहलता पत्नी विरेन्द्र कुमार

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

अनुराम पुत्र विरेन्द्र कुमार, रूचि पुत्री विरेन्द्र कुमार से खरीद की गई थी। बाद खरीद से प्रार्थनी मालिक दाखिल काबिज है। खसरा नम्बर 545/3 खसरा नम्बर 545 से बने है। खसरा नम्बर 545 का रकबा 0.65 है० था। जिसमें ओमप्रकाश पुत्र रामचन्दर, सुरेन्द्र पुत्र रामचन्दर व असल अप्रार्थी संख्या–1 राजेन्द्र व स्नेहलता यादव खातेदार थे। सन् 2002 में तत्कालीन खातेदारों द्वारा आपस में राजीनामा द्वारा खसरा नम्बर 545 रकबा 0.65 है० का बटवारा किया गया। बटवारे के पश्चात खसरा नम्बर 545/1 रकबा 0.16 है० ओमप्रकाश, खसरा नम्बर 545/2 रकबा 0.15 है० सुरेन्द्र, खसरा नम्बर 545/3 रकबा 0.15 है० स्नेहलता यादव व उसके पुत्र पुत्री तथा खसरा नम्बर 545/4 रकबा 0.19 है० अप्रार्थी संख्या–1 के हिस्से में आया। बटवारे के अनुसार एक नक्शा भी बनवाया गया तथा नक्शा अनुसार मौके पर काबिज किये गये उक्त बटवारेनामा के अनुसार इंतकाल संख्या 90 दिनांक 12.2.2002 को अमल में लाया गया। परन्तु बटवारेनामे के अनुसार संलग्न नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 545 में तितम्बे नही काटे गये। बटवारे में खसरा नम्बर 545/1, 545/2 वर्तमान नक्शे के अनुसार ही दिये गये थे परन्तु खसरा नम्बर 545/3 व खसरा नम्बर 545/4 की स्थिति इसके विपरीत थी। खसरा नम्बर 545/1 व 545/2 के पश्चात बचे हुए रकबे में तरफ दक्षिण का 0.15 है० को हिस्सा 545/3 माना गया तथा तरफ उत्तर का हिस्सा 545/4 तय किया गया। इसी बटवारा व नक्शे के अनुसार विक्रेता ने 545/3 खसरा का कब्जा विक्रय के अनुसरण में प्रार्थनी व तरतीब अप्रार्थी को प्रदान किया गया था। जिसके पश्चात से प्रार्थनी व तरतीबी अप्रार्थी काबिज मालिक चले आ रहे है। सन् 2014 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 से साज बाज करते हुए खसरा नम्बर 545 में तितम्बे काटे गये। जिसमें खसरा नम्बर 545/1, खसरा नम्बर 545/2 को सही दर्शाया गया तथा खसरा नम्बर 545/3 व 545/4 को मौके व बटवारेनामे के विपरीत दर्ज किया गया। जिसकी जानकारी प्रार्थनी व अप्रार्थी को नही थी तथा ना ही राजस्व कर्मचारियों व अप्रार्थी संख्या द्वारा प्रार्थनी व तरतीबी अप्रार्थी को कोई किसी प्रकार का कोई नोटिस नही दिया। दिनांक 18.01. 2019 को अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 के यहां आराजी खसरा नम्बर 545/4 की पैमाईश हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। कहा गया की उसकी आराजी को नापा जावे। जिसके अनुसरण में हलका पटवारी द्वारा दिनांक 18.2.2019 को मौके

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

की रिपोर्ट बनाई गई तथा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसके बाद दिनांक 22.2.2018 को एक पडोसी द्वारा प्रार्थनी को सूचना दी गई की आपकी जमीन की पैमाईश की जा रही है। तब जाकर प्रार्थनी तहसील गई एवं सारे वाक्यात का पता किया तब प्रार्थनी को पता चला की राजस्व नक्शे में सन 2014 में ही गलत तरीके से इन्द्राज करते हुए उसकी आराजी खसरा नम्बर 545/3 को मौके व हालात के विपरीत दर्शाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा बटवारानामा के पश्चात अपने हिस्से की आराजी में प्लाटिंग करते हुए लगभग सारी जमीन का विक्रय कर दिया। जिसमें कुछ बयनामे प्रार्थनी को तलाश करने पर प्राप्त हुए है। ये सभी बयनामे खसरा नम्बर 545/4 के दिनांक 21.12.2006 को अप्रार्थी संख्या–1 के द्वारा तस्दीक कराये गये है। अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा बयनाम मूलीदेवी के पक्ष में 187.49 वर्गगज का बयनामा बत्तो देवी के पक्ष में 222.19 वर्गगज का बयनामा लीला देवी के पक्ष में 245.33 वर्गगज का बयनामा शान्तिदेवी के पक्ष में 120.83 वर्गगज का बयनामा सीताराम सैनी के पक्ष में 66.66 वर्गगज का तस्दीक कराये गये है। इसी प्रकार अन्य लोगों को भी बयनामे व इकरारनामे अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा कराये गये है। जिनकी जानकारी प्रार्थनी को नही हो सकी। बयनामे की कापीयां वादपत्र के साथ संलग्न है। उपरोक्त वर्णित बयनामों से यह साबित है कि अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा अपनी आराजी का बेचान दिनांक 21.12.2006 को व अन्य दिनांकों को किया जा चुका है। जिसके पश्चात खरीददारान अपने प्लाटो पर काबिज है तथा प्रार्थनी की जानकारी कें अनुसार अप्रार्थी संख्या–1 के पास अब कोई आराजी शेष नही है। राजस्व नियमों के कारण उक्त बयनामों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में नही हो सका है। जिसके कारण अप्रार्थी संख्या–1 का नाम राजस्व रिकार्ड में बदस्तूर चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या–1 तेज तर्राट चालाक आदमी है जो मौके के विपरीत दर्ज किये गये गलत नक्शे व कागजात माल में अपने नाम का इन्द्राज का फायदा उठाकर प्रार्थनी की आराजी पर कब्जा करना चाहता है। प्रार्थनी की जमीन पर कोई निर्माण कार्य नही हो रहा है ना ही कोई विक्रय किया गया है ना ही प्लाटिंग की गई है। प्रार्थनी की जमीन काश्त की आराजी है। अप्रार्थी संख्या–1 अपने हिस्से की आराजी का बेचान कर चुका है। अप्रार्थी संख्सा–1 ने दिनांक 18.1.2019 को एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार अलवर के यहां अपनी आराजी खसरा संख्या 545/4 के सीमाज्ञान हेतु झूठे तथ्यों पर आधारित

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

पेश किया। जिस पर पटवारी हलका द्वारा रिपोर्ट भी की गई। आराजी के आसपास मकानात बने हुए है। अप्रार्थी संख्या–2 तहसीलदार ने किसी प्रकार से कोई गौर नही किया तथा पैमाईश के आदेश के आदेश जारी हो गये। उक्त पैमाईश की आड में अप्रार्थी संख्या–1 प्रार्थनी के हक की आराजी पर जबरदस्ती व नाजायज रूप से दिनांक 03.03.2019 को नींव खोदकर पक्का निर्माण कर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की। यदि प्रार्थीया की आराजी पर जबरन कब्जा कर निर्माण कर लिया तो प्रार्थीया को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन, नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित है। अतः असल अप्रार्थीगण को ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो आराजी खसरा नम्बर 545/3, 545/4 वाके ग्राम भाखेडा तहसील व जिला अलवर में रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य ना करे। अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड की नकलात का अवलोकन करने पर एवं वकील प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस पर मनन करने एवं शपथपत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में पाये जाने पर दिनांक 14.03.2019 को उभयपक्ष को आगामी तारीख पेशी तक आराजी खसरा नम्बर 545/3 रकबा 0.15, 545/4 रकबा 0.19 है० वाके ग्राम भाखेडा तहसील अलवर के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पावन्द किया गया।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा न्यायालय में जर्ये वकील उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की प्रार्थीया ने कथित खसरा नम्बर की हदूद अर्वा दर्ज नही किये है। दस्तावेज दिनांक 29.01.2005 की प्रति उत्तरदाता को उपलब्ध कराई गई है। जिसके अभाव में प्रार्थीया का आराजी खसरा नम्बर 545/3 रकबा 0.15 है० खरीद करना सन्देहस्पद है। प्रार्थीया का उक्त खसरा नम्बर पर कभी कब्जा नही रहा ना है। यह सही है आराजी खसरा नम्बर 545/4 रकबा 0.19 है० मिन उत्तरदाता की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीया उत्तरदाता को तंग व परेशान करते रहते है जिस कारण उत्तरदाता ने

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार अलवर को एक प्रार्थना पत्र पैमाईश बाबत पेश किया। जिस पर पुलिस की मौजूदगी में तहसीलदार साहब के आदेश की पालना में रिपोर्ट तैयार कर पेश की। उसके बाद मिथ्या तथ्य रखकर प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है। पैमाईश रिपोर्ट के विरूद्ध उज्रदारी पेश नही की। तहसीलदार साहब द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उत्तरदाता को आराजी खसरा नम्बर 545/4 रकबा 0.19 है० मालिक काबिज काश्तकार खातेदार प्रार्थीया स्वयं मानती है। इस कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। मिन उत्तरदाता ने किसी भी राजस्व कर्मचारी से कोई साज बाज नही की है बल्कि मौके पर तितम्बे के आधार पर प्लाट काटे हुए है। तहसीलदार अलवर दिनांक 21.2.2019 को आदेश कर ताजा मौका रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये। जिसमें दोनो खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान कराया गया है। प्रार्थीया ने अंकित नही किया की बटवारा कब हुआ तथा बटवारानामा रजिस्टर्ड था या नही, बटवारानाम हुआ या नही। मिथ्या तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीया व अप्रार्थी सख्या–3 असामाजिक व्यक्तियों से बमिल्लत कर उत्तरदाता के नम्बर व रकबे पर नाजायज कब्जा करने की जूस्तजू में है जिन्होने प्रोपटी डीलर से साठ गांठ की हुई है। मिन उत्तरदाता खसरा नम्बर 545/4 रकबा 0.19 है० का काबिज खातेदार काश्तकार है। अपनी आराजी को विक्रय करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। प्रार्थीया ने 850 वर्गगज जमीन का बेचान करना बताया है। जबकि मिन उत्तरदाता की जमीन लगभग 2975 वर्गगज बनती है। वादनी के दावे का कोई आधार नही बनता। इसके अलावा अप्रार्थी ने दिनांक 03.03.2019 को पक्का निर्माण कर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की हो बल्कि पैमाईश 25.02.2019 को हो चुकी है। प्रार्थीया विवादित भूमि से गैर काबिज व गैर वास्ता शख्स है प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन, नापूर्ति होने वाली क्षति साबित व आयद नही है। इस कारण प्रार्थीया अस्थाई निषेधा का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नही बतलाते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीया ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के इन्ग्रीडियेंश प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति का हवाला देकर प्रार्थना पत्र में वर्णित विवरण को दोहराते हुए

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 14.03.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद (Absolute) करने का न्यायालय को निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के इन्ग्रीडियेंश प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति का हवाला देकर दिनांक 14.03.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने का न्यायालय को निवेदन किया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया किया। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में पाये जाते है। प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में सफल रही है। हम दिनांक 14.03.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद (Absolute) कर कन्फर्म किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम बाबत आराजी खसरा नम्बर 545/3 रकबा 0.15, 545/4 रकबा 0.19 है० वाके ग्राम भाखेडा तहसील अलवर पर दिनांक 14.03.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद (Absolute) कर कन्फर्म की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
सहायक कलक्टर
अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned with OKEN Scanner